उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
दूरभाष नं0- 0135-2662021, फैक्स नं0- 0135-2662180
ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: http://uic.uk.gov.in

पत्रांक 1137 / उ0सू0अ0/2022-23 दिनांक 15/2/2023

सेवा में,

सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के तहत जीवन और स्वतन्त्रता से संबंधित प्रथम अपील का निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र संख्या 1402/XXXI(15)G/2023-37(सा0)/2022 दिनांक 04.01.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के परिपेक्ष्य में धारा 19(1) एवं धारा 19(3) के आलोक में अभिमत स्पष्ट करते हुए, सुस्पष्ट आख्या चाही गयी है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के परन्तुक में भारत की नागरिक के द्वारा जीवन और स्वतन्त्रता से संबंधित सूचनाओं के मांगे जाने पर ऐसी मांगी गयी सूचनाओं को उन्हें 48 घण्टे में उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। लोक सूचना अधिकारी के द्वारा ऐसी मांगी गयी सूचना को उपलब्ध न कराये जाने अथवा प्राप्त सूचना से संतुष्ट न होने पर अनुरोधकर्ता के द्वारा अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील की जाती हैं। विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा ऐसे प्रकरणों में भी सामान्यतः प्रथम अपील का निस्तारण अधिनियम के प्राविधान के अन्तर्गत 30 दिन अथवा 45 दिवस के अन्दर किया जाता है। अधिनियम में जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित ऐसे मांगी गयी सूचनाओं के सम्बन्ध में धारा 19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील तथा धारा 19(3) के अन्तर्गत मा0 आयोग में द्वितीय अपील/शिकायत किये जाने पर ऐसी प्राप्त प्रथम /द्वितीय अपील की शीघ्र सुनवाई करते हुए, सूचना प्रदान किये जाने का प्राविधान नहीं है।

उल्लेखनीय है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सूचना प्राप्त करना का मौलिक अधिकार है। जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मा0 आयोग में द्वितीय अपील/शिकायत प्राप्त होने पर अधिनियम की मूल भावना के दृष्टिगत ऐसे वादों की शीघ्र सुनवाई की अनुमति मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय से प्राप्त कर, उसकी सुनवाई हेतु यथाशीघ्र तिथि निर्धारित की जाती हैं। मा0 आयोग का अभिमत है कि जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित अनुरोध पत्रों के सापेक्ष विभागों में प्रथम

अपील प्राप्त होने पर, उसकी सुनवाई यथाशीघ्र विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा करते हुए, उसका निस्तारण किया जाना चाहिए परन्तु विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा ऐसे प्रकरणों में भी प्रथम अपील के निस्तारण में 30 दिन अथवा उससे अधिक समय लिया जा रहा है जोकि अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। उत्तराखण्ड सूचना आयोग में योजित द्वितीय अपील संख्या 917/2008 के आदेश दिनांक 17.11.2008 के पैरा 6.6 में जीवन और स्वतन्त्रता से संबंधित प्रथम अपील के निस्तारण हेतु निम्न व्यवस्था स्थापित किये जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को आदेश की प्रति प्रेषित की गयी थी–

"यदि कोई आवेदक जिसने अपने प्रार्थना पत्र में सूचनायें जीवन या स्वतत्रता से सम्बन्धित होने का तथ्य स्पष्ट किया है और उसे लोक सूचना अधिकारी द्वारा 48 घंटे में सूचनायें उपलब्ध नहीं करायी जाती है, या नियम विरूद्ध शुल्क मांगा जाता है और इस निर्णय के विरूद्ध वह विभागीय अपीलीय अधिकारी को धारा 19(1) के अन्तर्गत अपील करता है तो इस बिन्दु पर इसका निस्तारण अत्याधिक शीघ्रता से जहॉ तक सम्भव हो 48 घंटे के भीतर किया जायेगा। यदि अपीलीय अधिकारी को लगता है कि सूचनायें जीवन या स्वतंत्रता से सबंन्धित है तो वह लोक सूचना अधिकारी को सूचनायें तुरन्त आदेश देकर सूचनायें दिलाना सुनिश्चित करेगा, अगर विभागीय अपीलीय अधिकारी का निष्कर्ष है कि सूचनायें जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित नहीं है तो वह अपने निष्कर्ष कारणों सहित आवेदक/अपीलार्थी को सूचित करेगा"

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित प्राप्त प्रथम अपील का निस्तारण द्वितीय अपील संख्या 917/2008 के पैरा 6.6 में उल्लिखित उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत किये जाने के हेतु आपसे यह अनुरोध किये जाने के निर्देश हुए है कि कृपया इस संदर्भ में समस्त विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
देहरादून, उत्तराखण्ड

अपील संख्या : अ–917 / 2008
अपील अंतर्गत धारा 19(3) सू. का. अधि. अधिनियम 2005

समक्ष आर.एस.टोलिया, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

अपीलकर्ता : श्री नदीमउद्दीन, कोहिनूर प्रेस बिल्डिंग, अल्लीखां, काशीपुर, जनपद उधमसिंहनगर

बनाम

प्रतिवादी
1. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, काशीपुर, जनपद उधमसिंनगर
2. पुलिस उपाधीक्षक, काशीपुर, जनपद उधमसिंहनगर

आदेश

अपीलार्थी / प्रार्थी श्री नदीमउद्दीन एडवोकेट द्वारा लोक सूचना अधिकारी / पुलिस उपाधीक्षक, काशीपुर के समक्ष दिनांक 14 / 07 / 2008 को निम्न 12 बिन्दुओ पर नैनीताल लोक सभा क्षेत्र के सांसद के पी.ए. रवि शंकर हत्याकांड के खुलासे के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया.

1.1 क्या विवेचना पूर्ण कर ली गयी है, यदि हां तो विवेचना पूर्ण करने की तिथि व चार्जशीट की सत्यापित छायाप्रति,

1.2 गिरफ्तार अभियुक्तों के गिरफ्तारी मीमो की सत्यापित छायाप्रतियां,

1.3 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गिरफ्तारी गाईडलाईन में उल्लेखित तथा सिटिजन फार डिमोक्रेसी के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के उल्लंघन में अभियुक्तों को न्यायालय के आदेश के बिना हथकडी लगाने को जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के नाम, पदनाम व तैनाती स्थल,

1.4 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गिरफ्तारी गाईडलाईन में उल्लिखित तथा जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण के निर्देशों के उल्लंघन में अभियुक्तों को मीडिया के सामने प्रदर्शित करने को जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के नाम, पदनाम व तैनाती स्थल,

1.5 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंहनगर व पुलिस उपाधीक्षक, काशीपुर की मौजूदगी में भी गत 10 जुलाई, 2008 को कोतवाली काशीपुर में हथकड़ी सहित अभियुक्तों का प्रदर्शन किया गया. इस संबंध में उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गयी. कार्यवाही का पूर्ण विवरण.

1.6 पुलिस अधिकारियों द्वारा इस खुलासे में क्या अतिरिक्त व विशेष कार्य किया गया जिसके लिये पुलिस कप्तान व डी.आई.जी. ने इनाम की घोषणा की. इनाम की घोषणा संबंधी आदेशो की इसके आधारों सहित छायाप्रतियां सहित पूर्ण विवरण,

1.7 अभियुक्तों की आयु के संबंध में क्या कोई जांच की गयी. इसका पूर्ण विवरण इस जांच के निष्कर्षों की छायाप्रतियों सहित,

1.8 किशोर अभियुक्तों के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्य न करने को जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के नाम, पदनाम व तैनाती स्थल,

1.9 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गिरफ्तारी गाईडलाईन में उल्लेखित निर्देशों तथा डी.के. बसु के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुपालन में गिरफ्तारी की सूचना कन्ट्रोल रूम में नोटिस बोर्ड पर

प्रदर्शित करने का विवरण 9 व 10 जुलाई, 2008 को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित सभी सूचनाओं की छायाप्रतियों सहित,

1.10 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गिरफ्तारी गाईडलाईन में उल्लेखित निर्देशों तथा डी.के. बसु के निर्ण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के पालन में मामले के अन्वेषण व पूछताछ के दौरान अभियुक्तों के कराये गये मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट की सत्यापित छायाप्रति व उन वकीलों के नाम जिनसे अभियुक्तों को सलाह व पूछताछ के दौरान उपस्थित रहने का अवसर दिया गया, का पूर्ण विवरण,

1.11 घटनास्थल से लिये गये खून आदि के नमूनों को फोरेंसिक जांच हेतु कब भेजा गया व उसकी रिपोर्ट कब प्राप्त हुई. पूर्ण विवरण यदि नमूने नहीं लिये गये व जांच हेतु नहीं भेजे गये तो उसका रिकार्ड पर उपलब्ध कारण व जिम्मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम,

1.12 हत्या में शामिल घोषित चारों अभियुक्तों द्वारा घटना के समय पहने गये कपड़ों से लिये गये खून आदि के नमूनों को फोरेंसिक जांच हेतु कब भेजा गया व उसकी रिपोर्ट कब प्राप्त हुई. पूर्ण विवरण, यदि कपड़े बरामद नहीं किये गये या नमूने नहीं लिये गये व जांच हेतु नहीं भेजे गये तो उसका रिकार्ड पर उपलब्ध कारण व जिम्मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम.

2. लोक सूचना अधिकारी द्वारा 31/07/2008 को अनुरोधकर्ता / प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करायी गयी. उक्त उपलब्ध करायी गयी सूचना से संतुष्ट न होने पर अनुरोधकर्ता / प्रार्थी द्वारा दिनांक 12/08/2008 को विभागीय अपील अधिकारी के समक्ष विभागीय अपील प्रस्तुत की और उनके द्वारा अपने आदेश दिनांक 09/09/2008 के माध्यम से विभागीय अपील का निस्तारण किया गया. उक्त निस्तारण से भी संतुष्ट न होने पर अपीलकर्ता द्वारा आयोग के समक्ष 16/09/2008 को यह अपील प्रस्तुत की गयी है.

3. आयोग के 31/10/2008 के आदेश के अनुपालन में उभय पक्षों द्वारा जो लिखित प्रतिउत्तर आयोग को प्रेषित किये गये उन्हें पत्रावली का भाग बनाया गया तथा अपीलकर्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया.

4. अपीलकर्ता / प्रार्थी द्वारा अपनी प्रार्थना के 12 बिन्दुओं पर मांगी गयी सूचना को जीवन से संबंधित बताते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के परंतुक के प्राविधानांतर्गत 48 घण्टे के अन्दर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, और आयोग के समक्ष अपनी अपील में अवशेष अनुगन्य सूचनाओं को उपलब्ध कराने के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 7(1) के परन्तुक के अंतर्गत आने वाली सूचनाओं के संबंध में दिशा–निर्देश जारी करने तथा धारा 19(8) के अंतर्गत आवश्यक आदेश भी पारित करने का अनुरोध किया गया है. अग्रेतर, ऐसी सभी सूचनायें जो लोक प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रेस और मीडिया के समक्ष प्रकट की जाती है उन्हें भी जीवन से संबंधित मानते हुए धारा 7(1) के परन्तुक के अंतर्गत 48 घण्टे के अंदर सूचना अधिकार के अंतर्गत उपलब्ध कराने के लिए दिशा–निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है. इस क्रम में अपीलकर्ता द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा अपील संख्या CIC/WB/A/2006/00128 दिनांक 24/25 फरवरी, 2006 निजामुद्दीन बनाम दिल्ली डेवलपमेन्ट अथॉरिटी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जिन मामलों में "जीवन" को सम्मिलित माना है उनका भी संदर्भ दिया है. अपीलकर्ता के अनुसार मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यात्रा करने का अधिकार, निजता का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, कैदी का इन्टरव्यू देने का अधिकार, निष्पक्ष विचारण का अधिकार, पुलिस उत्पीड़न व हिंसा के विरूद्ध अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य व मेडिकल देखरेख का अधिकार, प्रदूषण विरूद्ध वातावरण का अधिकार, साफ पीने के पानी का अधिकार, कामकाजी महिलाओं का लैंगिग शोषण के विरूद्ध अधिकार, स्तरीय जीवन जीने का अधिकार, पारिवारिक पेंशन का अधिकार, को भी सूचना का अधिकार के अंतर्गत जीवन से संबंधित सूचना मानी है. अपीलकर्ता के अनुसार उपरोक्त 15 विषयों पर जिनमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 के "जीवन" में सम्मिलित माना है उनके संबंध में भी अधिनियम की धारा 7(1) के परन्तुक का प्रयोग करते हुए 48 घण्टे के अन्दर सूचना दिलाये जाने का अनुरोध किया है. अपीलकर्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अनुरोधकर्ता के द्वारा अधिनियम की धारा 7(1) के परन्तुक के संबंध में आयोग द्वारा दिशा–निर्देश जारी करने और अधिनियम की धारा 19(8) के अंतर्गत आदेश निर्गत करने की पृष्ठभूमि में प्रश्नगत प्रार्थना के लोक महत्व को देखते हुए 30/10/2008 को आयोग द्वारा मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह, लोक प्राधिकारी के विभागाध्यक्ष के रूप में पुलिस महानिदेशक और सचिव सूचना विभाग को अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तावित मार्ग–निर्देशक बिंदुओं पर अपना अभिमत आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया.

पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड के पत्रांक 340/2008 दिनांक 15/11/2008 के साथ संलग्न परिशिष्टों क, ख, ग, घ के माध्यम से जीवन या स्वतंत्रता संबंधी सूचनाओं के संबंध में निर्गत दिशा–निर्देश से संबंधित बिन्दुओं पर प्राप्त अभिमत और अधिशासी निदेशक सूचना एवं लोक संपर्क निदेशालय के पत्रांक 2196 दिनांक 27/11/2008 के माध्यम से पूर्व में प्राप्त सामग्री तथा अपीलकर्ता / प्रार्थी के द्वारा उपलब्ध करायी गयी केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्देश और मा० सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 15 बिन्दुओं पर निर्गत निर्णयों पर आयोग द्वारा विचार किया गया है.

6. चूंकि सूचना के अधिकार अधिनियम की उपधारा 1 धारा 7 के परन्तुक में यह प्राविधानित है कि जहाँ मांगी गयी जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से हो, वहाँ प्रश्नगत सूचना अनुरोध प्राप्त होने के 48 घण्टे के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी और चूंकि उपरोक्त परन्तुक के संबंध में आयोग द्वारा अभी तक किसी अन्य शिकायत या अपील के निस्तारण के दौरान इस संबंध में अपना कोई निर्देश जारी नहीं किया है अतः जहाँ तक अपील की सुनवाई के दौरान अधिनियम की धारा 7 के उपधारा 1 के उपरोक्त परन्तुक के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए आयोग से मार्ग–निर्देश निर्गत करने के लिए प्रार्थना की गयी है उसके निष्पादन के क्रम में आयोग द्वारा निम्नवत मार्ग–निर्देष निर्गत करते हुए स्थिति स्पष्ट की जाती है :

6.1 लोक सूचना अधिकारी को जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचनाओं के मांगने से सम्बन्धित सूचना प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर जिसमें किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचनायें मांगी गयी है, ऐसी सूचनायें 48 घंटे के भीतर प्रदान की जायेंगी. यदि सूचना का प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी को सहायक लोक सूचना अधिकारी से या अन्य लोक प्राधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है तो इस समय–सीमा की गणना प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त होने की तिथि से नियमानुसार होगी.

6.2 धारा 7 (1) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत 48 घंटे में आवेदक या किसी भी अन्य व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचनायें भी दी जायेगी चाहे वह ऐसे व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से सम्बंधित हों जिसका आवेदक से किसी भी प्रकार का कोई सम्बधं न हो.

6.3 धारा 7 (1) के अन्तर्गत प्रयुक्त जीवन या स्वतंत्रता शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्रयुक्त जीवन व स्वतंत्रता शब्द के समान है. इसलिये जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचनाओं में वह सभी सूचनायें शामिल होंगी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों के द्वारा घोषित कानून के अन्तर्गत अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत जीवन में शामिल माना गया है. इस प्रकार निम्न से सम्बन्धित व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत जीवन में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा शामिल विषयों से सम्बंधित सभी सूचनाये 48 घंटे में दी जायेगी:–

(1) **यात्रा करने का अधिकारी** (मेनका गांधी ब. भारत संघ AIR 1978, सतवंत सिंह ब. ए.पी. ओ. नई दिल्ली AIR 1967 में मा. सुप्रीम कोर्ट ने जीवन मे शामिल माना)

(2) **निजता (प्राइवेसी) का अधिकारी** (खडक सिंह ब.स्टैट ऑफ यू.पी AIR 1963, शारदा ब. धर्मपाल JT 2003(3) में मा० सुप्रीम कोर्ट ने जीवन में शामिल माना)

(3) **शीघ्र विचारण का अधिकार** (कॉमन कॉज ए रिजस्टर्ड सोसाइटी ब.भारत संघ AIR 1997 में मा. सुप्रीम कोर्ट ने जीवन में शामिल माना)

(4) **कैदी का इन्टरव्यू देने का अधिकार** (प्रभा दत्त ब. भारत संघ AIR 1982 में मा० सुप्रीम ने जीवन में शामिल माना)

(5) **निष्पक्ष विचारण (ट्रायल) का अधिकार** (पुलिस कमिश्नर दिल्ली ब. रजिस्ट्रार दिल्ली हाई कोर्ट AIR 1997 में मा. सुप्रीम कोर्ट ने जीवन में शामिल माना)

(6) **पुलिस उत्पीडन व हिंसा के विरूद्व अधिकारी** (डी.क बसु ब. स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 1997 में मा० सुप्रीम कोर्ट ने जीवन में शामिल माना)

(7) **निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकारी** (स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ब. एम. पी. वशी AIR 1996 में मा. सुप्रीम कोर्ट ने जीवन में शामिल माना)

(8) **प्राथमिक शिक्षा का अधिकार** (उन्नीकृष्नन ब. स्टेट ऑफ ए.पी. AIR 1996 में मा० सुप्रीम कोर्ट ने जीवन में शामिल माना)

(9) **स्वास्थ्य व मेडिकल देखरेख का अधिकारी** ((सी इ आर सी ब.भारत संघ AIR 1995, स्टेट ऑफ पंजाब ब. एम. एस. चावला AIR 1997 में मा० सुप्रीम कोर्ट ने जीवन में शामिल माना)

प्रदूषण विरुद्व वातावरण का अधिकारी (एम.सी.मेहता ब. भारत संघ AIR 1987 में मा0 सुप्रीम कोर्ट ने जीवन में शामिल माना)

(11) साफ पीने के पानी का अधिकार (ए पी पी सी बी ब. एम.वी नायडू AIR 1999 में मा0 सुप्रीम कोर्ट ने जीवन में शामिल माना)

(12) कामकाजी महिलाओं का लैंगिग शोशण के विरूद्व अधिकारी (विशाखा ब. स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1997,ए इ पी सी ब. ए.के. चोपडा 1992(2) SCC में मा0 सुप्रीम कोर्ट ने जीवन में शामिल माना)

(13) स्तरीय जीवन जीने का अधिकारी (हिंच लाल तिवारी ब. कमला देवी आदि 2001(6) SCC में मा0 सुप्रीम कोर्ट ने जीवन में शामिल माना)

(14) पारिवारिक पेंशन का अधिकारी (एस.के.मस्तान बी ब. जनरल मैनेजर साउथ सैन्ट्रल रेलवे 2003(1) SCC में मा0 सुप्रीम कोर्ट ने जीवन में शामिल मानो).

(15) सूचना का अधिकारी (अरूणा राय आदि ब. भारत देश संघ आदि AIR 2002,रिसर्च फाउडेशन फार साइंस टैक्नालॉजी एण्ड नैचरल रिसोर्स पॉलिसी ब. भारत संघ आदि1997 में मा0 सुप्रीम कोर्ट ने जीवन में शामिल माना)

6.4 जब लोक सूचना अधिकारी को कोई सूचना प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तो उसका कर्तब्य है कि वह सुनिश्चित करेगा कि उस प्रार्थना पत्र में सूचनायें जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित तो नही है. अगर इसमें ऐसी सूचनायें मांगी गयी हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से सम्बंधित हैं तो उन्हें अडतालीस घंटे मे देना होगा.

6.5 जब किसी प्रार्थना पत्र में जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचनायें होने का स्पष्ट कथन किया गया है या इस आधार को स्पष्ट करते हुये 48 घंटे में दिये जाने की प्रार्थना की गयी है तो अगर लोक सूचना अधिकारी का यह निष्कर्ष है कि सूचनाये जीवन या स्वतंत्रता से सम्बंधित नहीं है तो यह निष्कर्ष अपने निष्कर्ष के कारणों सहित वह आवेदक को 48 घंटे के अन्दर लिखित रूप में सूचित करेगा.

6.6 यदि कोई आवेदक जिसने अपने प्रार्थना पत्र में सूचनाये जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित होने का तथ्य स्पष्ट किया है और उसे लोक सूचना अधिकारी द्वारा 48 घंटे में सूचनायें उपलब्ध नहीं करायी जाती है. या नियम विरूद्ध शुल्क मांगा जाता है और इस निर्णय के विरूद्व वह विभागीय अपीलीय अधिकारी को धारा 19 (1) के अन्तर्गत अपील करता है तो इस बिन्दु पर इसका निस्तारण अत्याधिक शीघ्रता से जहां तक सभंव हो 48 घंटे के भीतर किया जायेगा. यदि अपीलीय अधिकारी को लगता है कि सूचनायें जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित हैं तो वह लोक सूचना अधिकारी को सूचनायें तुरन्त आदेश देकर सूचनायें दिलाना सुनिश्चित करेगा. अगर विभागीय अपीलीय अधिकारी का निष्कर्ष है कि सूचनायें जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित नहीं है तो वह अपने निष्कर्ष कारणों सहित आवेदक/अपीलार्थी को सूचित करेगा.

6.7 प्रेस या मीडिया में जो सूचनायें अधिकृत रूप से प्रसारित की जाती है वह व्यक्तियों के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करने वाली प्रकृति की ही होती है. अतः, अगर कोई सूचना लोक प्राधिकारी/विभाग के किसी अधिकारी द्वारा प्रेस या मीडिया को दी गयी है, तब उसे भी उपरोक्त आधार पर जीवन से सम्बन्धित मानते हुये 48 घंटे के अन्दर सूचना का अधिकार के अन्तर्गत मांगा जाने पर आवेदकों को दी जायेगी. इसके लिये भी यथाआवश्यक व्यवस्था लोक प्राधिकारियों/विभागों द्वारा की जायेगी तथा प्रेस या मीडिया को जो सूचनाये दी जायें उसका अपने पास अभिलेखों मे पूर्ण रिकार्ड भी रखा जायेगा तथा प्रेस नोट सुरक्षित रखे जायेंगे जिससे उनकी सूचना व फोटो प्रतियां आदि सूचना अधिकार के अन्तर्गत 48 घंटे में उपलब्ध करायी जा सके.

6.8 किसी मामले में अन्वेषण सम्बन्धी सूचनाये स्वतः ही धारा 8(1)(एच) के अन्तर्गत प्रकट से छूट प्राप्त नहीं होती. धारा 8(1)(एच) के आधार पर सूचनायें देने से इंकार करने पर लोक सूचना अधिकारी को यह स्पष्ट करना होगा कि मांगी गयी सूचनाओं से कैसे अन्वेषण की प्रकिया बन्दीकरण या अपराधियों के अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभावित है. जो सूचनायें पहले से किसी भी प्रकार से प्रकट की जा चुकी है उसके सम्बन्ध में यह छूट नहीं मिल सकती अगर ऐसी सूचनायें किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीवन की स्वतंत्रता या जीवन से सम्बन्धित है तो उन्हें भी 48 घंटे के भीतर देना होगा.

6.9 दण्ड प्रक्रिया संहिता, माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत जो सूचनायें सूचित करना आवश्यक है, उनके सम्बन्ध में मात्र अन्वेषण (विवेचना) पर प्रभाव पडने के आधार पर ही इंकार नहीं किया जा सकता. अगर ऐसी सूचनायें किसी भी व्यक्ति की

स्वतंत्रता या जीवन से सम्बन्धित है तो यह 48 घंटे के भीतर देनी होगी. पुलिस महानिदेशक,उत्तराखण्ड द्वारा जो आदेश मा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में नवम्बर 2007 के और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा पुनः नवम्बर 2007 में प्रदेश के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों तथा पुलिस पुलिस अधीक्षक एस.टी.एफ के निर्गत किये हैं उनका संदर्भ देते हुए सूचना आयोग के इस निर्णय को उक्त संदर्भ में सभी पुलिस अधिकारियों को पुनः स्पष्ट किया जायेगा,

6.10 माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सूचना का अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त जीवन के अन्तर्गत शामिल माना है. इसलिए सूचना का अधिकारी सम्बंधी सभी सूचनायें धारा 7(1) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत जीवन से सम्बन्धी होने के आधार पर 48 घंटे में दी जायेगी. इस सूचनाओं में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) के अन्तर्गत स्वतः प्रकट व प्रकाशित की जाने वाली सूचनायें, इनके प्रकाशन व अपडेशन की स्थिति, सूचना प्रार्थना पत्र व अपीलीय प्रार्थनापत्रों के निस्तारण की स्थिति, लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी, या अपीलीय अधिकारियों के पतों आदि से सम्बंधित सूचनायें भी शामिल होंगी.

6.11 ऐसे सभी प्रार्थना पत्र जिनमें जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचनायें मांगी गयी हों, उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों को सहायक लोक सूचना अधिकारीयों व लोक सूचना अधिकारियों द्वारा शासनादेश संख्या 146 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टरों में लाल इंक (लाल स्याही) से लिखा जायेगा. इसी प्रकार इनसे संबंधित अपीलों के प्राप्त होने पर, उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों, को विभागीय अपील अधिकारियों व सहायक लोक सूचना अधिकारियों द्वारा शासनादेश सं0 146 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टरों में भी लाल इंक से ही लिखा जायेगा.

6.12 अधिशासी निदेशक के द्वारा 27/10/2008 को आयोग को प्रेषित राज्य सरकार द्वारा किसी राजकीय अधिकारी या कर्मचारी को अधिकृत प्रेस नोट निर्गत करने के संबंध में जो 7 शासनादेशों का संकलन प्रेषित किया गया है उसके स्थान पर सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रख्यापन के परिप्रेक्ष्य में इस आदेश के निर्गत होने के 1 माह अंदर एक संकलित शासनादेश इस प्रकार से निर्गत करवाया जायेगा जिसमें शासन स्तर से लेकर जिले स्तर तक अधिकृत प्रेस नोट को जारी करने के संबंध में एक एकजाती (संकलित) शासनादेश निर्गत हो जाये, और यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त संशोधित शासनादेश के क्रम में जो भी प्रेस नोट कालांतर में निर्गत किये जाते हैं ऐसे प्रेस नोट की एक प्रति संबंधित कार्यालय के स्तर पर, राज्य सरकार से जिले स्तर अथवा जो भी न्यूनतम स्तर आवश्यक समझा जाये, की प्रति संरक्षित रखी जायेगी और ऐसी प्रतियां सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगे जाने पर अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत संबंधित लोक सूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी और ऐसे निर्गत प्रेस नोट भी अधिनियम की धारा 7(1) के प्रश्नगत परन्तुक के अंतर्गत मांगे जाने पर 48 घण्टे के अंदर उपलब्ध कराये जायेंगे.

7. इस आदेश के निर्गत होने के उपरांत जहाँ तक सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के परन्तुक के उत्तराखण्ड राज्य में प्रयुक्त होने का प्रश्न है यह मार्ग निर्देशक सिद्धान्त ही लागू होंगे. यह देखते हुए कि उत्तराखण्ड राज्य मात्र 8 वर्ष पुराना है अतः जिस प्रकार की क्षमता विभिन्न लोक प्राधिकारियों के स्तर पर इस महत्वपूर्ण प्राविधान को कियान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारी स्तर पर आवश्यक है उसे प्राप्त करने के लिये प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर विशेष प्रयास आवश्यक होंगे. अतः अपीलीय अधिकारियों के स्तर पर और स्वयं सूचना आयोग के स्तर पर जब भी जीवन या स्वतंत्रता शब्दों की परिभाषा को मा0 सर्वोच्च न्यायालय अथवा मानवाधिकार आयोग के द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्णयों के क्रम में परिभाषित करने का प्रश्न है वह प्रकरण विशेष की विशेष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ही विचारणीय होगा. लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारी के स्तर पर यह अनिवार्य होगा कि किसी भी प्रार्थना में अधिनियम की धारा 7(1) के परन्तुक के प्राविधान के अंतर्गत प्रार्थना किये जाने की दिशा में लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपील अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से यह इंगित किया जायेगा कि यदि मांगी गयी सूचना को 48 घण्टे के अंतर्गत उपलब्ध नहीं कराया जा सका है या उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है तब उसके क्या कारण है और किस आधार पर उसे अस्वीकृत किया जा रहा है ?

8. लोक सूचना अधिकारी, थानाध्यक्ष काशीपुर के द्वारा जिस प्रारूप पर अपीलकर्ता / प्रार्थी को 31/07/2008 को अनुगन्य सूचना उपलब्ध करायी गयी है उस पर कठोर आपत्ति प्रकट की जाती है और भविष्य में लोक सूचना अधिकारी / थानाध्यक्ष काशीपुर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सूचना उपलब्ध कराने के उपरांत हस्ताक्षर करने के उपरांत हस्ताक्षर के नीचे स्पष्ट रूप से लोक सूचना अधिकारी

का पदनाम भी अंकित किया जायेगा जिस प्रकार से क्षत्राधिकारी, अपीलीय अधिकारी काशीपुर इंगित किया है. चूंकि अब तक अधिनियम की धारा 7(1) के परन्तुक के सापेक्ष अनुगन्य सूचनाओं के संबंध में अब तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिये गये थे अतः इस आदेश के निर्गत होने के 2 सप्ताह अन्दर इस आदेश में वर्णित मार्ग निर्देशक बिन्दुओं के आधार पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवशेष अनुगन्य सूचनायें पंजीकृत डाक से अपीलकर्ता / प्रार्थी को उपलब्ध करायी जायेगी और जिन बिन्दुओं पर सूचना अनुगन्य नहीं है उसे स्पष्ट और अभिव्यक्त रूप से अस्वीकृत किया जायेगा. अपीलीय अधिकारी के द्वारा निर्गत 09/09/2008 के आदेश में यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि उनके द्वारा अपीलकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया गया हो. भविष्य में विभागीय अपीलीय अधिकारी अपीलकर्ता को अपना पक्ष स्पष्ट करने का एक अवसर देते हुए सुनवाई करेंगे और उक्त सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरांत ही वह अपने अपील आदेश निर्गत करेंगे. अपील आदेश निर्गत करते समय जहाँ मांगी गयी सूचनाओं को अस्वीकृत किया जाता है उन्हें उसे अस्वीकृत करते हुए कारण दिया जायेगा और जहाँ सूचना उपलब्ध करायी जाती है उस संबंध में सूचना प्रमाणित कर संलग्न की जायेगी. विभागीय अपीलों को मात्र पत्राचार के रूप में निर्णीत किया जाना निर्धारित प्राविधान के अनुसार नहीं है क्योंकि ऐसा करने से अपीलकर्ता को अपना पक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिलता है. विभागीय अपील अधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर न देने के कारण जिस प्रकार की परिहार्य समय और श्रम व्यय होता है वह भी सूचना के अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार नहीं है. भविष्य में विभागीय अपीलों का निस्तारण करते समय अपीलकर्ताओं को सुनवाई के लिए तिथि और समय निश्चित किया जाना चाहिए और यह अपीलकर्ता का विवेक व विकल्प है कि वह उपरोक्त तिथि को अपना पक्ष प्रस्तुत करे अथवा नहीं. मात्र इस आधार पर कि अधिनियम की धारा 19(1) में विभागीय अपीलों का निस्तारण करने के लिए सुनवाई किये जाने का प्राविधान अभिव्यक्त रूप से इंगित नहीं है इस आधार पर अपीलकर्ता / प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार नहीं है.

9. जिस सीमा तक सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के परन्तुक के प्राविधान को इस आदेश के द्वारा स्पष्ट किया गया है, इन निर्गत मार्ग–निर्देशक बिन्दुओं के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी को अवशेष अनुगन्य सूचनायें आदेश के निर्गत होने के 2 सप्ताह अंदर उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है और अधिशासी निदेशक सूचना निदेशालय को वर्तमान शासनादेशों के स्थान पर एक संकलित शासनादेश प्रेरा विज्ञप्ति अधिकृत रूप से निर्गत करने के लिए निर्देशित किया गया है जहां सीमा तक इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, तथा अपील निस्तारित की जाती है.

10. इस आदेश की एक प्रति सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को भी इस आशय से पृष्ठांकित की जाये कि इस आदेश में दिये गये मार्ग–निर्देशक बिन्दुओं को वे एक शासनादेश या कार्यालय–ज्ञाप के माध्यम से प्रदेश के समस्त राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों को उनके द्वारा अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों के प्रसंज्ञान में लाने और भविष्य में तदानुसार प्राप्त अनुरोध पत्रों का निस्तारण करने के लिए प्रेषित किया जाय.

आदेश की प्रति उभय पक्षों के अतिरिक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को प्रदेश के समस्त राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों और विभागाध्यक्षों, अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग और महानिदेशक पुलिस को भी प्रेषित हो.

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित.

17.11.2008

(आर. प्रसाद टोलिया)
मुख्य सूचना आयुक्त